मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २९ सन् २०१८) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ५ का स्थापन.

''५. (१) हितग्राही, समय-समय पर इस उपधारा और उपधारा (२) के अधीन निम्नानुसार एक लाख तैंतालीस हजार रुपए की कुल राशि प्राप्त करने की हकदार होगी:— लाभ.

(एक)	कक्षा ६ठीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए २०००
(दो)	कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ४०००
(तीन)	कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ६०००
(चार)	कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ६०००
(पांच)	कक्षा १२वीं के पश्चात् स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) में प्रवेश लेने के समय पर.	—	रुपए २५,००० (पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम तथा अंतिम वर्ष में दो बराबर किस्तों में).

(२) हितग्राही इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वह कक्षा १२वीं की परीक्षा में उपस्थित हुई है, और यदि वह विवाहित है तो ऐसा विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ (२००७ का ६) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूर्ण करने के पश्चात् किया गया था, २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, एक लाख रुपए की रकम प्राप्त करने की हकदार होगी.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को १२वीं कक्षा के पश्चात् उनके स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २९ सन् २०१८) की धारा ५ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १३ सितम्बर, २०२२.

भारत सिंह कुशवाह
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

लाड़ली लक्ष्मी योजना वर्ष २००७ से प्रदेश में संचालित है, योजना के संचालन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षवार बजट प्रावधान किया जाता है, वित्तीय वर्ष २०२२-२३ हेतु राशि रुपये ९२१ करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, उक्त योजना प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत कार्यान्वित की जायेगी, इसके लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे, जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २९ सन् २०१८) से उद्धरण.

*   *   *   *

धारा ५ (१) हितग्राही धारा ४ के अधीन जारी आश्वासन प्रमाण-पत्र के अनुसार एक लाख अठारह हजार रुपए की राशि उपधारा (२) और (३) के अनुसार प्राप्त करने की हकदार होगी.

धारा ५ (२) हितग्राही निम्नलिखित राशि समय-समय पर प्राप्त करने का हकदार होगा,—

(एक)	कक्षा ६ठवीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए २०००
(दो)	कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ४०००
(तीन)	कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००
(चार)	कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००

धारा ५ (३) हितग्राही को रुपए एक लाख की रकम का भुगतान २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा बशर्ते कि वह यथाविहित शर्तों को पूर्ण करती हो.

*   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.